

## प्रेस वृत्तपत्र

### कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आश्रित हितलाभ का भुगतान

पटना, दिनांक : 11-07-2025

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक , सीए. निरंजन कुमार द्वारा सादे समारोह में मेसर्स बंसल कुमार प्रसाद के अधीन एन.बी.पी.डी.सी.एल.प्रा. ल. के अंतर्गत पंजीकृत बीमत व्यक्ति श्री आजाद आलम जो सारण में मानव बल के पद पर कार्यरत थे, उनकी आश्रिता पत्नी हसबुल निशा, पुत्री- निकहत परवीन एवं पुत्र - शाहिद रसीद को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आश्रित हितलाभ प्रदान किया गया और संवेदना व्यक्त की गयी ।

स्व. आजाद आलम की मृत्यु दिनांक 01-09-2023 को कार्य के दौरान रोजगार चोट के कारण हुई थी । वे परिवार में अकेले कमाने वाले थे व परिवार पूर्णतः आर्थिक रूप से उन पर निर्भर था। नियोजक द्वारा दुर्घटना रिपोर्ट भेजे जाने के पश्चात इसकी जाँच की गयी तथा ई०एस०आई०सी० द्वारा आश्रितों के लिए मासिक पेंशन स्वीकृत किया गया । पेंशन के रूप में 336 रु. प्रतिदिन की दर से लगभग प्रतिमाह (10080/-) आश्रितों को मिलेगा । दुर्घटना की तिथि से आज तक लगभग 221760 रुपये का बकाया भुगतान भी उनके खाते में अंतरित किया जा रहा है ।

उल्लेखनीय है कि कार्य के दौरान व कार्यस्थल और निवासस्थान के मध्य आवागमन के कारण होने वाली दुर्घटना को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत रोजगार चोट के रूप में स्वीकृत करने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत बीमत कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित परिवारजनों को ई० एस० आई० योजना के तहत वेतन का 90% तक मासिक आश्रित पेंशन दिया जाता है ।

क्षेत्रीय निदेशक